न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 63/2016 RCMS No.-2016/00093

राजेश कुमार मीना उर्फ राजू आयु 21 वर्ष पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद मीना जाति मीना निवासी ग्राम बांसखोह तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.......अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. फैली पुत्र स्व. जगदीश जाति मीना निवासी ग्राम बांसखोह तहसील बस्सी, जिला जयपुर। (नाम हजफ)

.... रेस्पाडेन्ट

अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आज्ञा नामान्तकरण संख्या 746 दिनांक 04.09.1998 जो श्रीमान तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित किया गया है।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते * जयपुर *

निर्णय दिनांकः 12.03.2021

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 04.09.1998 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 746 वाके ग्राम बांसखोह, तहसील बस्सी स्वीकार हुआ है जिसमें अपीलांट का नाम सहबन से राजेश पुत्र स्व. जगदीश के स्थान पर राजू पुत्र स्व. जगदीश दर्ज कर दिये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.07.2016 को मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। नोटिस जारी करने पर रेस्पाडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पा0 संख्या 2 का नाम हजफ किया गया। श्रीमान जिला कलक्टर (भू.अ.) जयपुर से वांछित नामान्तकरण की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गयी। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपीलान्ट का राशन कार्ड की छायाप्रति, पेन कार्ड आधार कार्ड, माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका की छायाप्रति पेश की गयी जो शामिल मिसल की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने आगे कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 746 में वर्णित ग्राम बांसखोह, तहसील बस्सी स्थित कृषि भूमि अपीलान्ट की पैतृक खातेदारी भूमि है। अपीलान्ट व उसके भाई व उसकी माता को उपरोक्त वर्णित भूमि अपने अपीलांट के पिता स्व. जगदीश की विरासत में प्राप्त हुई है। अपीलांट अपने पिता की मृत्यु के समय बाल्य अवस्था में था, अपीलांट की माता अनपढ होने के कारण पर अपीलाधीन नामान्तकरण में गलती से अपीलान्ट को उसके घर पर बोलने वाला नाम राजू दर्ज करवा दिया गया। जबकि अपीलान्ट के समस्त दस्तावेजों पैन कार्ड की छाया प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट की छाया प्रति, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति आदि में अपीलान्ट का नाम राजेश पुत्र स्व. जगदीश ही है। अपीलाधीन

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

नामान्तकरण के आधार पर अपीलांट का नाम जमाबन्दी में भी राजू अंकित हो गया। अपीलान्ट को ग्राम बांसखोह में राजू के नाम से जाना जाता है जबकि अपीलान्ट का सरकारी रिकार्डेड नाम राजेश है। चूंकि अपीलान्ट एवं उसकी माता एक ग्रामीण परिवेश की काश्तकार है तथा नामान्तकरण तस्दीक होते समय ग्राम में मौजूद नहीं था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण में नाम की ही त्रुटि है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 746 दिनांक 04.09.1998 में तहसीलदार बस्सी को अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम राजू पुत्र स्व. जगदीश की जगह राजेश पुत्र जगदीश अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड को सही करवाने की कृपा करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण विधिपूर्वक व न्यायसंगत है तथा नियमों की पालना करते हुए ही खोला गया है इसमें केवल त्रुटिवश अपीलांट का नाम गलती से राजेश के स्थान पर राजू दर्ज किया गया है जिसमें शुद्वि हेतु पेरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण की प्रमाणित छायाप्रति का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। साथ ही अपीलाण्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पैन कार्ड की छाया प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट की छाया प्रति, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति आदि पर भी गौर किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 746 ग्राम बांसखोह, तहसील बस्सी अपीलांट के पिता जगदीश के फौत होने पर विरासत के आधार पर तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलांट एवं उसके भाई एवं माता के नाम तस्दीक किया गया। जिसमें अपीलान्ट का नाम सहबन से राजू अंकित किया गया है जबकि अपीलान्ट का सरकारी रिकार्डेड नाम राजेश कुमार है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 746 निर्णित दिनांक 04.09.1998 ग्राम बांसखोह, तहसील बस्सी में अंकित राजू के स्थान पर राजेश कुमार दर्ज किया जावें। शेष इन्द्राजात यथावत रखे जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बस्सी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति. कलेक्टर-प्रथम
जयपुर

(इकबाल खान)
अति. जिला कलेक्टर-प्रथम
कलेक्टर जयपुर

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA